

[2024] 3 एस.सी.आर. 421: 2024 आईएनएससी 202

श्रीकांत उपाध्याय एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1552/2024)

14 मार्च 2024

[सी.टी. रविकुमार एवं संजय कुमार, न्यायाधीशगण]

विचारणीय मुद्दा

क्या ट्रायल कोर्ट पर दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत कार्यवाही करने पर कोई रोक हो सकती है, केवल इसलिए कि जमानत के लिए अग्रिम आवेदन दायर किया गया है या क्योंकि इस तरह के आवेदन को बिना किसी अंतरिम आदेश पारित किए स्थगित कर दिया गया है।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973**-धारा **438** और धारा **82**-अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नवंबर **2022** में दायर किया गया था और **04.04.2023** को सुनवाई के लिए लाया गया था, जिस पर इसे खारिज कर दिया गया था। इस बीच, **04.01.2023** को दं.प्र.सं. की धारा **82** के तहत उद्धोषणा जारी की गई और उसके बाद **15.03.2023** को दं.प्र.सं. की धारा **83** के तहत प्रक्रिया शुरू की गई थी। अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि दं.प्र.सं. की धारा **82**, के तहत उद्धोषणा जारी करने के कारण आवेदन के गुण-दोष पर विचार किए बिना अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को खारिज करना, कायम रखने योग्य नहीं है-औचित्य:

अभिनिर्धारित: दं.प्र.सं. की धारा 438(1) के परंतुक के दृष्टिकोण में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि यदि मामले को विचारार्थ लेने के चरण में न्यायालय आवेदन को अस्वीकार नहीं कर रहा है, तो वह अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने के लिए बाध्य है - संक्षेप में, न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित किए बिना ऐसे आवेदन को स्थगित करने से कुछ भी नहीं रोक सकता अपीलकर्ताओं को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता कि नवंबर, 2022 में दायर अग्रिम जमानत के आवेदन को अंतरिम आदेश पारित किए बिना स्थगित नहीं किया जा सकता था - बहरहाल, उक्त आवेदन 04.04.2023 को खारिज कर दिया गया था - अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने पर, अंतरिम संरक्षण के अभाव में, यदि कोई पुलिस अधिकारी संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, तो यह कैसे माना जा सकता है कि न्यायालय जिसने उपस्थिति के लिए अपने आदेश का पालन न करने के कारण समन जारी किया और फिर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के लंबित रहने के कारण दं.प्र.सं. की धारा 82, के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकता है-यदि उक्त स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे धोखा से गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के प्रभाव और परिणामों से बचने के लिए और दं.प्र.सं. की धारा 82, के तहत उद्धोषणा जारी करने से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए लगातार आवेदन दायर करके अपनाया जाएगा- यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अंतरिम आदेश के अभाव में, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को उद्धोषणा के लिए कदम उठाने/आगे बढ़ने और कानून के अनुसार दं.प्र.सं. धारा 83, के तहत कदम उठाने से नहीं रोका जाएगा। [पैरा 23]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973-धारा 438** और धारा **82** - ट्रायल कोर्ट द्वारा विभिन्न आदेश - गैर-जमानती वारंट जारी करना संचालन से अवज्ञा - धारा **82** के तहत जारी उद्धोषणा- अपीलकर्ताओं ने गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी - क्या अपीलकर्ता गिरफ्तारी से पहले जमानत के हकदार थे:

अभिनिर्धारित किया:- तथ्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों का पालन करने में लगातार अवज्ञा की - वे समन प्राप्त होने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे, और फिर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी, जबकि उनके सह-आरोपियों ने जमानती वारंट जारी होने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन किया

और उसे प्राप्त किया - हालांकि अपीलकर्ताओं ने एक आवेदन दायर किया, जिसे उन्होंने स्वयं 23.08.2022 को "जमानत-सह-आत्मसमर्पण आवेदन" के रूप में वर्णित किया, उन्होंने गिरफ्तार होने के डर से इसे वापस ले लिया। 03.11.2022 को गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने की परवाह नहीं की और इसे वापस लिए जाने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन नहीं किया - यह एक तथ्य है कि दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्धोषणा के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने इसे चुनौती देने या परिणामों को टालने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए कोई कदम नहीं उठाया- अपीलकर्ताओं के आचरण को देखते हुए, यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वे गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं। [पैरा 16]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **82-** दं.प्र.सं. की धारा **82** के तहत उद्धोषणा के पालन में गैर-हाजिरी- अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करना - क्या अधिवक्ता के माध्यम से ऐसा आवेदन दाखिल करना न्यायालय के समक्ष उपस्थिति माना जा सकता है:

अभिनिर्धारित किया: सविताबेन गोविंदभाई पटेल एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है कि अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत दाखिल करना उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं माना जाएगा और न ही माना जा सकता है जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही (दं.प्र.सं. की धारा 82/83 के तहत) शुरू की गई है। [पैरा 19 और 20]

उद्धृत वाद कानून

लवेश बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), **[2012] 7 एससीआर 469: (2012) 8 एससीसी 730;** मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा, **[2013] 12 एससीआर 772: (2014) 2 एससीसी 171-**पर भरोसा किया गया।

सविताबेन गोविंदभाई पटेल एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, **2004 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 345** स्वीकृत।

प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, [2021] 6 एससीआर 1176: **(2022) 14 एससीसी 516**; एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम जे.जे.मन्नान एवं एक अन्य, [2009] 16 एससीआर 590: **2010 (1) एससीसी 679**-संदर्भित।

श्रेणिक जयंतीलाल जैन एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ईओडब्ल्यू यूनिट II, मुंबई के माध्यम से, **[2014 एससीसी ऑनलाइन बॉम 549]** संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; चुड़ैल (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम, 1999।

संकेतशब्द की सूची

अग्रिम जमानत; गिरफ्तारी से पहले जमानत; उद्धोषणा जारी करना; जमानत आवेदन का स्थगन; अंतरिम आदेश; ट्रायल कोर्ट के आदेश: गैर-जमानती वारंट जारी करना; आचरण से अवज्ञा; उद्धोषणा के लिए कदम।

मामला किससे उत्पन्न हुआ

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1552/2024

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 04.04.2023 के निर्णय और आदेश से सी.आर.एल.एम. संख्या 67668/2022

पक्षों की उपस्थिति

बसंत आर. वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंद शंकर, देबाशीष मुखर्जी, परम नंद, कविनेश आरएम, ओंकार नाथ, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

अंशुल नारायण, प्रेम प्रकाश, भंवर पाल सिंह जादौन, सुशील तोमर, सत्य प्रकाश, चेतन जादौन, सुश्री आभा आर. शर्मा, प्रतिवादियों के अधिवक्ता।

निर्णय

सी. टी. रविकुमार, जे.

अनुमति प्रदान की गई।

1. यह अपील पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार द्वारा पारित 2022 की सी. आर. एल. एम. सं.-67668 में दिनांकित 04.04.2023 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा एवं जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका 2020 की प्राथमिकी सं.- 79 के संबंध में दायर की गई थी, जो उसके और सह-आरोपी के खिलाफ गोविंदगंज, पुलिस स्टेशन, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धाराएँ 341,323,354,354 (बी),379,504,506 एवं 149 एवं चुड़ैल प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम, 1999 (संक्षेप में डाइन अधिनियम) की धारा 3/4 के तहत दर्ज की गई थी।

2. सुना, श्री बसंत आर., अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री अंशुल नारायण, प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान वकील।

3. विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मौलिक महत्व के प्रश्न को प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करके बेहतर ढंग से समझाया और समझा जा सकता है, जिसे इस न्यायालय के पहले के फैसले यानि मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा एवं लवेश बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के मामले में उल्लेख करने के बाद प्रस्तुत किया गया था। लवेश के मामले में (ऊपर), इस न्यायालय ने पैराग्राफ 12 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“12.इन सामग्रियों और जानकारी से, यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलार्थी पूछताछ एवं जाँच के लिए उपलब्ध नहीं था एवं ‘भगोड़ा’ घोषित किया गया था। आम तौर पर, जब अभियुक्त “फरार” और “घोषित अपराधी” के रूप में घोषित होता है, तो अग्रिम जमानत देने का कोई सवाल ही नहीं है। हम दोहराते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और फरार है या वारंट के निष्पादन से बचने के

लिए खुद को छिपा रहा है और संहिता की धारा 82 के संदर्भ में एक घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।

(रेखांकित करें)

4. प्रदीप शर्मा के मामले (उपरोक्त) में निर्णय में इस अदालत ने कहा कि यदि किसी को दं.प्र.सं. की धारा 82 के संदर्भ में भगोड़ा/घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत से राहत का हकदार नहीं है। दं.प्र.सं. की धारा 438, को निकालने के बाद, इसे आगे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

“उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि संहिता की धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग करने योग्य कुछ हद तक स्वरूप में असाधारण है और इसका प्रयोग केवल उन असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए जहां यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा सकता है या जहां यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अपराध के आरोपी व्यक्ति को अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की संभावना नहीं है।

5. प्रेम शंकर प्रसाद के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रतिवादी-अभियुक्त फरार था और गिरफ्तारी के वारंट की सेवा से बचने के लिए खुद को छिपा रहा था और उसके खिलाफ दं.प्र.सं. की धाराओं 82/83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, दं.प्र.सं. की धाराओं 82/83 के तहत कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कानून की स्थिति, जिसका तत्परता से पालन किया जा रहा था, वह उन मामलों में है जहां एक आरोपी जिसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट लंबित है और दं.प्र.सं. की धारा 82/83 के तहत घोषणा की प्रक्रिया जारी की गई है, अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।

6. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि उपरोक्त गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के संबंध में कानून की लगभग तय स्थिति उस मामले में लागू नहीं होती है जहां कोई व्यक्ति गिरफ्तारी की आशंका करते हुए पहले ही अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन दायर कर चुकी है और यह किसी भी अंतरिम आदेश के बिना और इसके

लंबित रहने के दौरान, यदि निचली अदालत धारा दं.प्र.सं. की 82, के तहत घोषणा जारी करती है। संक्षेप में, उठाए गए कानून का प्रस्ताव है-जब गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत की मांग करने वाला आवेदन बिना किसी अंतरिम संरक्षण के लंबित है, चाहे दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई हो, उस आवेदन को अपने गुणों के आधार पर आगे विचार के योग्य बनाएगा? अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार ऐसी परिकल्पित परिस्थितियों में भी और गैर-जमानती वारंट के लंबित होने के बावजूद, अग्रिम जमानत के लिए लंबित आवेदन पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है और किसी भी दर पर, उपरोक्त आधारों पर गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लंबित आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने अपीलार्थियों की ओर से रखे गए प्रस्तावों का जोरदार विरोध किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गैर-जमानती वारंट जारी करना और दं.प्र.सं. की धारा 82, के तहत कार्यवाही शुरू करना न्यायसंगत है। निश्चित रूप से, अंतरिम संरक्षण के अभाव में, गैर-जमानती वारंट जारी करने या दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं हो सकता है। केवल अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के लंबित होने के कारण, हालांकि अधिक बार नहीं, ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा होने पर, ऐसी किसी भी परिस्थिति का अस्तित्व किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए दबाव डालने से वंचित कर देगा। यहां तक कि एक लंबित आवेदन भी बनाए रखने योग्य नहीं है, यह तर्क दिया जाता है।

8. इस प्रकार जमानत से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला से यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट करते हुए भी कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए और यह जिन मामलों में गिरफ्तारी किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनिवार्य है, तक ही सीमित होना चाहिए उनमें सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि अग्रिम जमानत का अनुदान असाधारण परिस्थितियों तक ही सीमित रहेगा। दूसरे शब्दों में, स्थिति यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने की शक्ति है। एक असाधारण शक्ति है और इसका उपयोग केवल असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए न कि निश्चित रूप से। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

शिकायतकर्ता की दुर्भावना या व्यक्तिगत प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को परेशान या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। (देखें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम जे.जे. मानन एवं एक अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय)।

9. जब कोई न्यायालय अग्रिम जमानत देता है तो वह वास्तव में केवल यह आदेश देता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, गिरफ्तार व्यक्ति को नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि उक्त शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है और यह कि यह दं.प्र.सं. की धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए बुलाए जाने पर जांच पद्धति के सामान्य प्रवाह में कुछ बाधा पैदा कर सकता है, अदालतों को इस स्थिति की याद दिलानी चाहिए कि कानून केवल पालन करने वालों की सहायता करता है और निश्चित रूप से इसके प्रतिरोधी को नहीं ऐसा कहने से, हमारा मतलब है कि एक व्यक्ति, जो एक गंभीर अपराध पर जांच के अधीन है और एक मामला बनाने पर, एक आरोप पत्र में शामिल किया जाता है या एक संदर्भ रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भी, बाद में, कानून के अनुसार, न्यायालय एक व्यक्ति को समन जारी करता है, वह खुद को कानून के अधिकार के अधीन करने के लिए बाध्य है। इसका मतलब केवल यह है कि हालांकि वह अभी भी स्वतंत्र होगा, बल्कि अपने अधिकार में, केवल कानून के अनुसार उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए, लेकिन इसकी अवज्ञा में नहीं। हम इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के संदर्भ में इस चर्चा को विस्तार देंगे। हालाँकि, हम सोचते हैं कि इससे निपटने से पहले, दं.प्र.सं. की धारा 82, के तहत प्रावधानों के दायरे और अनुप्रयोग पर एक नज़र डालने के वास्ते डालने के वास्ते एक छोटा विचलन अनुचित नहीं होगा।

10. इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए यह अनिवार्य शर्त है। कि संबंधित न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट के पूर्व जारी किया जाना है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (1) का उल्लेख करना प्रासंगिक है। जो इस प्रकार पढ़ता है:

"82. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषण।— (1) अगर किसी भी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है (चाहे वह साक्ष्य लेने के बाद हो या नहीं) कि कोई भी

व्यक्ति जिसके खिलाफ उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है ताकि ऐसा वारंट निष्पादित नहीं किया जा सके, ऐसा न्यायालय एक लिखित घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उसे ऐसी घोषणा प्रकाशित करने की तारीख से कम से कम तीस दिनों में एक निर्दिष्ट स्थान पर और एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

11. दंड संहिता की धारा 82 (1) 'विश्वास करने का कारण' अभिव्यक्ति का उपयोग में सुझाव देगा कि संबंधित मजिस्ट्रेट को व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति फरार हो गया है या उसने खुद को छिपा लिया है। धारा 82, दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में। हमें 'फरार' शब्द के महत्व को समझना होगा। इसका व्युत्पत्ति और सामान्य ज्ञान वह है जो स्वयं को गुप्त रख रहा है या खुद को छिपा रहा है और गिरफ्तारी से बच रहा है। चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्यवाही की वैधता। चुनौती के दायरे में नहीं है, हमें उस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, दलीलों का सार यह है कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए आवेदन लंबित होने पर, दं.प्र.सं.की धारा 82, के तहत घोषणा जारी नहीं की जानी चाहिए थी और किसी भी दर पर, इसे जारी करना गुण-दोष के आधार पर ऐसे आवेदन पर विचार करने से इनकार करने का कारण नहीं होगा। यहाँ पहले निर्दिष्ट निर्णयों से प्रकट कानून की स्थिति और कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

12. कानून के उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, हम समझते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2, श्री राजीव कुमार उपाध्याय और चार अन्य लोगों के खिलाफ दायर 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 37 दिनांकित 28.03.2018 और अपीलार्थी संख्या 4 (प्रथम अभियुक्त एवं अपीलार्थियों के परिवार के चार अन्य सदस्य) के खिलाफ दर्ज 2018 की एफ. आई. आर. सं. 66 के साथ निपटना बिल्कुल अनावश्यक है। और अवैध अतिक्रमण के लिए अपीलार्थियों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर 2019 के दीवानी मुकदमे (140) पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विचार के लिए रखे गए प्रश्न के संबंध में इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यदि यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी अग्रिम जमानत के हकदार हैं, बना रहता है तो विचार के लिए प्रस्तुत किए गए उपरोक्त प्रश्नों

का उत्तर देने के बाद भी, हम उक्त मामलों के संबंध में प्रासंगिक पहलुओं का उल्लेख कर सकते हैं।

13. जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, अपीलकर्ताओं ने गोविंदगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की एफ. आई. आर. सं. 79 के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया। यह एक तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 156 3 के तहत दायर 2020 की शिकायत सं. 395 पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के निर्देशों के अनुसार विषय प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं: -

22.02.2020 को, सुबह लगभग 8 बजे, जब प्रतिवादी संख्या 4 की दादी जगमती कुंवर अपीलार्थी संख्या 2, शशीकांत उपाध्याय के घर के सामने पहुंची, तो उन्होंने कहा कि यह वह चुड़ैल है जिसने उनके बच्चे को बीमार किया और उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिर, अपीलार्थी और परिवार के आठ अन्य सदस्य उसके चारों ओर जमा हो गए और चौथे अपीलार्थी ने उसके बाल पकड़ लिए और दूसरों को गोबर लाने के लिए कहा। इसके बाद आरोपी परितोष कुमार गोबर लाया और अभियुक्तों रिशु पर जगमती कुंवर के मुँह में गोबर लिए नतीजतन, उसे उल्टी हुई और वह नीचे गिर गई। जब प्रत्यर्थी संख्या 2/शिकायतकर्ता और अन्य गवाह उसकी मदद के लिए गए, तो दूसरे अपीलार्थी शशीकांत उपाध्याय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 पर हमला किया और दुर्व्यवहार किया। सह-अभियुक्त परितोष कुमार और जिशु कुमार ने किरण देवी का ब्लाउज फाड़ दिया और उसके कपड़े उतार दिए गए। एक अन्य सह-अभियुक्त सोनी देवी ने शिकायतकर्ता से सोने की चेन छीन लिया। सह-अभियुक्त रविकांत और अपीलकर्ता संख्या 5 ने जगमती कुंवर के कपड़े फाड़ दिए और उसे आधा नग्न कर दिया।

14. बाद में, जाँच पूरी करने के बाद, 08.08.2022 को पर केवल आई. पी. सी. की धारा 341, 323 और 504 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, वह भी केवल आरोपी लखपति कुंवर (आरोपी संख्या 7) के खिलाफ। तथापि, विद्वत विचारण न्यायालय ने एफ. आई. आर., आरोप पत्र और केस डायरी के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थियों सहित अन्य 12 अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए केस डायरी में पर्याप्त

सामग्री उपलब्ध है और तदनुसार दिनांक 20.02.2021 के आदेश के माध्यम से आई. पी. सी. की धारा 341, 323, 354 बी और प्रश्न अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया और अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्तों को समन जारी किया और उनकी उपस्थिति की तारीख के रूप में 12.04.2022 निर्धारित किया। उस दिन आरोपी अनुपस्थित थे और इसलिए 12.04.2022 को, निचली अदालत ने जमानती वारंट जारी किए। 25.05.2022 को अभियुक्त, यहाँ अपीलार्थियों के अलावा, पेश हुए और निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन किया और निचली अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसके बाद, शिकायतकर्ता/इसमें दूसरे प्रतिवादी ने उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन किया और दिनांक 09.06.2022 के आदेश के अनुसार जमानत देने वालों को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए गए। जमानत रद्द करने का नोटिस मिलने पर, उन्होंने 2022 की आपराधिक संशोधन याचिका सं.94 में संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का असफल रूप से रुख किया। पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने के बाद, निचली अदालत ने जमानत रद्द करने के लिए आवेदन को अलग-अलग तारीखों को डाक से भेज दिया। तथ्य यह है कि इस तरह के विकास घटनाक्रमों के बावजूद, अपीलकर्ता न तो निचली अदालत में पेश हुए और न ही नियमित जमानत की मांग की। इस बीच, अपीलकर्ताओं ने के समक्ष जमानत-सह-समर्पण आवेदन (उनके द्वारा वर्णित) दायर किया। हालाँकि, गिरफ्तारी के डर से इसे 23.08.2022 को वापस ले लिया गया था। इसके बाद, निचली अदालत ने 30.08.2022 को अपीलार्थियों की उपस्थिति की तारीख तय की। अपनी उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि से पहले, अपीलकर्ताओं ने सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया और उसके बाद 06.09.2022 को, अंतिम सुनवाई के लिए 27.09.2022 को सत्र न्यायालय के समक्ष इसे सूचीबद्ध करने के बारे में निचली अदालत को सूचित किया। विचारण न्यायालय ने तब अपीलार्थियों की उपस्थिति के लिए मामले को 11.10.2022 को पोस्ट किया। अपीलार्थियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत 27.09.2022 को खारिज कर दिया गया था और उसके बाद, निचली अदालत ने 03.11.2022 को मामले को उठाया। चूंकि अपीलार्थी अनुपस्थित रहे, इसलिए निचली अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किए और मामले को उन्हें पेश करने के लिए 04.11.2022 को सूचीबद्ध किया। इस बीच, अपीलकर्ताओं ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए 2022 का सी. आर. एल. एम. सं.67668 दायर करके उच्च न्यायालय का रुख

किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट लंबित थे जब वे उक्त आवेदन के अग्रिम जमानत के लिए कार्रवाई किए। 04.12.2022 को, अपीलार्थियों की ओर से, निचली अदालत को उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के बारे में सूचित किया गया था। नतीजतन, मामला 04.01.2023 को सूचीबद्ध किया गया था। 04.01.2023 को, अपीलार्थियों की उपस्थिति और गैर-जमानती वारंट जारी करने के पूर्व आदेश के बावजूद उनकी गैर-उपस्थिति के अनुसार, निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (1) के तहत घोषणा जारी की। बाद में, दं.प्र.सं. की धारा 83, के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई। 15.03.2023 को, अपीलार्थियों की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता धारा 82/83 के तहत प्रक्रिया को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। हालाँकि, निचली अदालत ने दं.प्र.सं. की धारा 82/83 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए आगे बढ़े। दं.प्र.सं. 04.04.2023 को, अपीलार्थियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जाहिर तौर पर दं.प्र.सं. की धारा 82/83, के तहत कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि इस तरह के घटनाक्रमों के लिए पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के लिए आवेदन को बनाए नहीं रखा जा सका।

15. अपीलार्थियों का मुख्य तर्क यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के कारण योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार किए बिना अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की अस्वीकृति कायम रखने योग्य नहीं है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी चरण में, अपीलार्थी "गिरफ्तारी से बच रहे थे" या "फरार" थे लेकिन केवल अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग अग्रिम जमानत की मांग कर रहे थे। यह उपरोक्त परिस्थितियों में है कि अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह तर्क दिया कि जब अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन लंबित है, तो गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उद्घोषणा जारी करना योग्यता के आधार पर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार न करने का कारण नहीं हो सकता है।

16. उपरोक्त तर्कों और संबद्ध प्रश्नों पर उचित विचार के लिए, केवल कानून के कुछ प्रावधानों के साथ-साथ कुछ प्रासंगिक निर्णयों का भी उल्लेख करना उचित है। यहाँ पहले वर्णित घटनाओं के कालक्रम से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, दं.प्र.सं. की एफ. आई. आर. सं. 79/2020 में करने और कि धारा

173 (2) के तहत प्रावधानों के संदर्भ में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, और समन जारी करने, जमानती वारंट जारी करने और गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद; अपीलकर्ताओं द्वारा जमानती वारंट के आधार पर अपनी उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि पर अदालत के समक्ष पेश होने में विफलता के अनुसार, उन्होंने जमानत के लिए आवेदन करने के अलावा कानून के अनुसार कोई कार्रवाई करने की परवाह नहीं की। दं.प्र.सं. धारा 82, के तहत उद्घोषणा जारी होने के बाद भी यही स्थिति थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियों के समान स्थित सह-अभियुक्तों के मामले में, वे पेश हुए और जमानती वारंट जारी करने के अनुसार नियमित जमानत प्राप्त की। अतः अपीलार्थियों के कृत्यों और चूक की जांच करते हुए, केवल यह देखा जा सकता है कि वस्तुतः, अपीलार्थी कानून के अधिकार की अवहेलना कर रहे थे और जमानत के लिए आवेदन कर रहे थे, जब उन्हें अपनी गैर-उपस्थिति और अवज्ञा के कारण गिरफ्तारी का आशंका किए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रकट हुए उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में अपीलार्थियों के इस तर्क की सराहना की जानी चाहिए कि वे केवल अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करने के अपने अधिकार का पालन कर रहे थे और इसलिए वे गिरफ्तारी से बच नहीं रहे थे या फरार नहीं थे।

17. दं.प्र.सं. धारा 70 (2), आदेश देता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 (1) के तहत जारी किया गया प्रत्येक वारंट। पी. सी. तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाता है, या जब तक इसे कार्यान्वित नहीं किया जाता है। इस मामले में, जैसा कि पहले देखा गया है, अपीलार्थियों के खिलाफ जमानती वारंट और उसके बाद गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। उन्हें न तो निचली अदालत द्वारा रद्द किया गया और न ही उन्हें कार्यान्वित किया गया। यह उनका मामला नहीं है कि उन्होंने उसे सफलतापूर्वक चुनौती दी है। आई. पी. सी. की धारा 19, 20, 21, 174 और 174 ए इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं। जहाँ तक प्रासंगिक है, वे इस प्रकार हैं:

19. “न्यायाधीश ”।—“न्यायाधीश” शब्द का अर्थ केवल यही नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति भी कानून द्वारा सशक्त है कि किसी भी कानूनी कार्यवाही में, दीवानी या आपराधिक, एक निश्चित निर्णय, या एक निर्णय जिसके खिलाफ अपील नहीं की जाती है, तो वह निश्चित होगा, या एक निर्णय, जिसकी यदि किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा

पुष्टि की जाती है, तो वह निश्चित होगा, या जो किसी निकाय या व्यक्तियों में से एक है, तो किस व्यक्ति के निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए कानून द्वारा सशक्त किया गया है।

20. “न्याय की अदालत ”।—शब्द “न्याय का न्यायालय” एक ऐसे न्यायाधीश को दर्शाता है जिसे कानून द्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने का अधिकार है, या न्यायाधीशों का एक निकाय जिसे कानून द्वारा न्यायिक रूप से एक निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार है, जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा हो।

21. “लोक सेवक ”।—शब्द “लोक सेवक” निम्नलिखित में से किसी भी विवरण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को धोषित करें, अर्थात्:

[तीसरा।— कानून द्वारा निर्वहन के लिए सशक्त किसी भी व्यक्ति सहित प्रत्येक न्यायाधीश, चाहे वह स्वयं ही हो या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में, कोई निर्णयात्मक कार्य;]

174. लोक सेवक से किसी आदेश के पालन में गैर-उपस्थिति— जो कोई भी, कानूनी रूप से सक्षम किसी लोक सेवक से समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा की कार्यवाही के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, ऐसे लोक सेवक के रूप में, इसे जारी करने के लिए,

जानबूझकर उस स्थान या समय पर उपस्थित होने से चूक जाता है, या उस स्थान से प्रस्थान करता है जहां वह उस समय से पहले उपस्थित होने के लिए बाध्य है जिस पर उसका प्रस्थान करना वैध है, उसे एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

या, यदि समन, सूचना, आदेश या घोषणा व्यक्तिगत रूप से या किसी न्यायालय में एजेंट द्वारा उपस्थित होना है, तो साधारण कारावास के साथ जो छह महीने तक बढ़

सकता है, या जुर्माने के साथ जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ।

174 ए.1974 के अधिनियम **2** की धारा **82** के तहत एक घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति- जो कोई भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित घोषणा द्वारा आवश्यक निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ, और जहां उस धारा की उप-धारा (4) के तहत उसे घोषित अपराधी घोषित करने की घोषणा की गई है, तो उसे सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

18. समन, वारंट और बाद में उद्घोषणा जारी करने के संबंध में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 19,20 एवं 21 के संयुक्त पठन से जिसमें शब्द न्यायाधीश न्याय का न्यायालय एवं लोक सेवक शामिल है एवं भा.द.सं. की धाराएँ 174 एवं 174 ए उन्हें आगे की कार्यवाही का सामना करने के लिए उत्तरदायी बना सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा के पालन में गैर-उपस्थिति के मामले में भी यही स्थिति है।

19. उपरोक्त प्रावधानों और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम कुछ प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करेंगे। सविताबेन गोविंदभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य **5**, में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

9. याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दायर करने को सक्षम न्यायालय में याचिकाकर्ता-अभियुक्त की उपस्थिति नहीं कहा जा सकता है, जहां तक संहिता की धारा 82/83 के तहत शुरू की गई कार्यवाही का संबंध है; अन्यथा प्रत्येक फरार अभियुक्त अदालत के समक्ष उपस्थित होने की बाध्यता से बचने के लिए अग्रिम जमानत आवेदन दायर करके आश्रय बनाने का प्रयास करेगा और संहिता की धारा 83 के तहत कार्यवाही को यह दावा करते हुए उठाएगा कि उसे कानून की नजर में भगोड़ा नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय के

समक्ष शारीरिक उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, यदि धारा 82 और 83 की प्रासंगिक योजना को बारीकी से पढ़ा जाता है।

(आपूर्ति को रेखांकित करें)

20. हम गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि एक वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत दायर करने को उस व्यक्ति द्वारा अदालत के समक्ष उपस्थिति के रूप में नहीं माना जाएगा एवं नहीं माना जा सकता है जिसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शुरू की गई है। "फरार" शब्द का अर्थ हम यहाँ पहले विचार कर लिए हैं। हमने पाया कि इसकी व्युत्पत्ति और मूल अर्थ यह है कि आरोपी खुद को छिपा रहा है। फरार होने के लिए क्या सबूत की आवश्यकता होती है समूत का प्रभाव कि संबंधित व्यक्ति को पता था कि वह वांछित था और गिरफ्तारी के वारंट के लंबित होने के बारे में भी पता था। यह समझने के लिए कि अपीलार्थी वास्तव में फरार थे, इस मामले में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह विवाद में नहीं है कि उन्हें तथ्य यह है कि उनके खिलाफ सम्मन तामील जमानती वारंट की गई थी उनके खिलाफ 12.04.2022 को जारी किए गए आदेश भी विवादित नहीं हैं, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने स्वयं आदेश प्रस्तुत किया है जिसके तहत उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए थे। हम पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 (2) का उल्लेख कर चुके हैं। जो इस स्थिति को प्रकट करेगा कि एक बार वारंट जारी होने के बाद यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाता है या इसके निष्पादन तक। अपीलार्थियों के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि इस मामले में ऐसी कोई भी घटना वारंट को अप्रवर्तनीय बनाने के लिए हुई थी। उन्हें यह भी मामला नहीं मिला कि उनके आवेदन में प्रवर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। इसके अलावा, यह एक तथ्य है कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं 23.08.2022 पर, निचली अदालत के समक्ष जमानत-सह-समर्पण आवेदन दायर किया, लेकिन गिरफ्तारी के डर से उसे वापस ले लिया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मामले में यह तर्क देते हुए भी कि वे एक अदालत के समक्ष थे, अपीलार्थियों को दं.प्र.सं. की धारा 438 (1-बी), के तहत प्रावधानों के संदर्भ में अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए एक आदेश का आदेश या तो अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान में या लोक अभियोजक द्वारा एक आवेदन पर दिया गया था। जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो अपीलकर्ताओं को यह तर्क देने

की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे गिरफ्तारी छिप नहीं रहे थे या से खुद को छिपा नहीं रहे थे या वे नहीं जानते थे कि वे कानून के अदालत में वांछित थे।

21. अपीलार्थियों के एक अन्य तर्क को समझने और उस पर विचार करने के लिए एसएलपी में अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए आधार संख्या 3 को प्राप्त करने योग्य है जो इस प्रकार है:

“III. क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उस घोषणा की सराहना करें करने में विफल रहा कि जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 04.01.2023 को जारी किया गया था और उसके बाद 83 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया 15.03.2023 पर शुरू की गई है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नंबर, 2022 में दायर किया गया था, हालांकि, यह 04.04.2023 पर सुनवाई के लिए आया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत दायर करना पसंद किया तो किसी भी याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित नहीं किया गया और दं.प्र.सं. की धारा 82/83 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।”

22. अपीलार्थी द्वारा लिया गया उपरोक्त निष्कर्षित आधार हमें इस प्रश्न पर विचार करने के लिए विवश करता है कि क्या दं.प्र.सं. धारा 82 के तहत कार्यवाही के लिए विचारण न्यायालय पर कोई रोक हो सकती है, केवल इसलिए कि जमानत के लिए अग्रिम आवेदन दायर किया गया है या क्योंकि इस तरह के आवेदन को कोई अंतरिम आदेश पारित किए बिना स्थगित कर दिया गया था। हम यहां यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि आदेशों को जल्द से जल्द पारित करना हमेशा बेहतर होता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नंबर 2022 को दायर किया गया था। और 04.04.2023 को सुनवाई के लिए लाया गया, जिस दिन इसे विवादित आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया था। ऊपर निष्कर्षित के आधार से पता चलता है कि इस बीच, दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत घोषणा 04.01.2023 को जारी की गई थी और उसके बाद दं.प्र.सं. की धारा 83 के तहत प्रक्रिया 15.03.2023 को शुरू की गई थी।

23. इस तर्क को उठाने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है कि जब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो इसे अंतरिम संरक्षण का आदेश पारित किए बिना

स्थगित नहीं किया जा सकता है। दं.प्र.सं. की धारा 438 (1), के केवल के अवलोकन से पता चलता है कि इसके तहत गिने गए कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय या तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर सकता है या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। इसके तहत परन्तुक से पता चलेगा कि यदि उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस धारा के तहत अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है तो थाना के थाना प्रभारी बिना वारंट के संबंधित व्यक्ति को ऐसे आवेदन में दोषारोपण के भय के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र होगा। दं.प्र.सं. की धारा 438 (1), के तहत परंतुक को देखते हुए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यदि मामले को विचार के लिए लेने के चरण में, न्यायालय आवेदन को अस्वीकार नहीं कर रहा है, तो वह अग्रिम जमानत देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। संक्षेप में, अदालत को अंतरिम आदेश पारित किए बिना इस तरह के आवेदन को स्थगित करने से कुछ भी नहीं रोकता है। इस प्रश्न पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने श्रेणिक जयंतीलाल जैन और एक अन्य बनाम ई. ओ. डब्यू. इकाई II, मुंबई के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के मामले में विस्तार से विचार किया एवं ऊपर के रूप में उत्तर दिया गया और हम इस विचार से सहमत हैं कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के लिए कोई वैधानिक अवरोध नहीं होगा। इसलिए, अपीलार्थियों को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि नवंबर, 2022 में दायर अग्रिम जमानत को अंतरिम आदेश पारित किए बिना स्थगित नहीं किया जा सकता था। बहरहाल उक्त आवेदन को 04.04.2023 को अस्वीकार कर दिया गया था। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने पर, अंतरिम सुरक्षा के अभाव में, यदि कोई पुलिस अधिकारी संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, तो यह कैसे तर्क दिया जा सकता है कि जिस अदालत ने उपस्थिति के लिए अपने आदेश का पालन न करने और फिर गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए समन जारी किया था, वह केवल अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने के कारण दं.प्र.सं. की धारा 82, के तहत प्रावधानों के संदर्भ में आगे नहीं बढ़ सकती है। यदि उक्त स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के प्रभाव और परिणामों से बचने के लिए एक चाल के रूप में अपनाया जाएगा और अग्रिम जमानत के लिए लगातार आवेदन दायर करके दं.प्र.सं. की धारा 82, के तहत घोषणा जारी करने से भी बचाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में, और किसी भी वैधानिक निषेध के अभाव में और आगे,

कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो एक पुलिस अधिकारी को अग्रिम जमानत के लिए आवेदक को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है यदि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित है तो मामला स्थगित कर दिया जाता है लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था। विचार के लिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देने में हमें कोई संकोच नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अंतरिम आदेश के अभाव में, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की विचाराधीनता निचली अदालत को घोषणा के लिए कदम जारी करने/कार्यवाही करने और कानून के अनुसार दं.प्र.सं. की धारा 83, के तहत कदम उठाने से नहीं रोकेगी।

24. हम पहले ही मान चुके हैं कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। हालांकि कई मामलों में यह माना गया था कि जमानत को एक नियम कहा जाता है, परिकल्पना के किसी भी सीमा से नहीं कहा जा सकता है कि अग्रिम जमानत ही नियम है। यह नियम नहीं हो सकता है और इसके अनुदान का सवाल प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय द्वारा सतर्क और विवेकपूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उक्त शक्ति का प्रयोग करने का आह्वान करते हुए, संबंधित न्यायालय को बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि गंभीर मामलों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण या संरक्षण देने से न्याय की विफलता हो सकती है और जांच में काफी हद तक बाधा आ सकती है क्योंकि इससे कभी-कभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ या भटकाव हो सकता है। हमें यह अभिनिर्धारित करते हुए नहीं समझा जाएगा कि न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार किए जाने तक अंतरिम संरक्षण पारित नहीं करेगा क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की अनुचित गिरफ्तारी से स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए नियत है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश विशिष्ट रूप से उपयुक्त मामलों में पारित किए जाएंगे। किसी भी तरह से, जब गिरफ्तारी या घोषणा का वारंट जारी किया जाता है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का उपयोग करने का हकदार नहीं होता है। निश्चित रूप से, यह न्याय के हित में चरम, असाधारण मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की अदालत की शक्ति से वंचित नहीं करेगा। तब, लगातार आदेशों की अवहेलना करने वाला और फरार रहने वाला व्यक्ति इस तरह के अनुदान का हकदार नहीं है।

25. यहाँ के तथ्यात्मक विवरण से यह प्रकट होगा कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेशों के पालन के निरंतर अवज्ञा की गई। वे समन प्राप्त होने के बाद और फिर जमानती

वारंट जारी होने के बाद भी निचली अदालत में पेश होने में विफल रहे, जबकि उनके सह-अभियुक्तों ने जमानती वारंट जारी होने के बाद आवेदन किया और नियमित जमानत प्राप्त की। हालाँकि अपीलकर्ताओं ने एक आवेदन दायर किया, जिसे उन्होंने स्वयं 23.08.2022 को "जमानत-सह-समर्पण आवेदन" के रूप में वर्णित किया, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी के डर से इसे वापस ले लिया। 03.11.2022 को गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उन्होंने निचली अदालत के समक्ष पेश होने की परवाह नहीं की और इसे वापस लेने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। यह एक तथ्य है कि दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत घोषणा के बारे में जानने के बाद भी उन्होंने उसे चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। या परिणाम को टालने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में अपीलार्थियों के इस तरह के आचरण से हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं होता है कि वे गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं।

26. चर्चा का परिणाम यह है कि योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार नहीं करने के बजाय अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को अस्वीकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। चूँकि उनकी कार्रवाई न्यायालय के वैध आदेशों की अवहेलना करने और कार्यवाही में देरी करने के प्रयास से कम नहीं है, इसलिए यह अपील विफल होनी चाहिए। नतीजतन, इसे खारिज कर दिया जाता है।

हेडनोट तैयार किया गया: अंकित ज्ञान

मामले का नतीजा:

अपील खारिज